• छरमा...

किंग ऑफ विटामिन सी है स्पीति का सीबकथॉर्न

काजा : जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में तैयार होने वाले किंग ऑफ विटामिन सी यानी छरमा (सीबकथॉर्न) के उत्पाद देश-विदेश में पसंद बन चुके हैं। वाइल्ड लाइफ डिविजन स्पीति के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूह छरमा के कई उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिसे खरीदने के लिए 2012 से 2015 बैच के भारतीय वन सेवा के अफसरों ने भी दिलचस्पी दिखाई। गत बुधवार को देश के भिन्न-भिन्न राज्यों की 31 सदस्यीय आईएफएस अफसरों की टीम एक्सपोजर विजिट पर वाइल्ड लाइफ डिविजन स्पीति पहुंची। काजा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस टीम ने जाइका से जुड़े 9 स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। इस दौरान यहां उपलब्ध छरमा चाय, जूस, बैरी, सूखे सेब समेत अन्य उत्पादों

की खूब बिक्री हुई। डीसीएफ स्पीति मंदार उमेश जेवरे ने बताया कि चंद घंटों में ही 12 हजार रुपये की सेल हुई। उन्होंने कहा कि आज देश-विदेश में छरमा के औषधीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। मंदार उमेश जेवरे ने कहा कि देश के भिन्न-भिन्न राज्यों से आए आईएफएस अधिकारी स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए ऐसे उत्पादों पर शोध करेंगे। गौरतलब है कि स्पीति के सीबकथॉर्न यानी छरमा से बनने वाले उत्पाद देश व दुनिया में पसंद किए जाएंगे। वर्तमान में भी इसके उत्पादों को लोग पसंद करते हैं, परंतु यह हिमाचल में आसानी से नहीं मिल पाते। बताया जाता है कि कैंसर-शुगर मरीजों के लिए रामबाण छरमा से कई तरह की दवाएं भी तैयार की जाती हैं। दवाओं के निर्माण में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। सीबकथॉर्न की पत्तियों में विटामिन सी समेत कई दूसरे पोषक तत्व प्रचूर मात्रा में होते हैं। जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूह छरमा के उत्पाद तैयार कर अपनी आर्थिकी को और मजबूत कर रहे हैं।

• निजी क्षेत्र...

पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहल

चंडीगढ़ : हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली के तहत पर्यटन अधोसंरचना के सतत विकास के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रदेश में व्यवसाय के अवसरों पर चंडीगढ़ में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय और बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य है जहां पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में अग्रसर है।

❖ पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन को किया संबोधित

बाली ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से राज्य की आर्थिकी को मजबूत बनाने के साथ-साथ युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए एशियन विकास बैंक के अंतर्गत तैयार की जा रही परियोजनाओं के विकासए प्रबन्धन एवं संचालन में निजी क्षेत्र की साझेदारी सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भविष्य में देश के अन्य स्थानों में भी इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

सम्मेलन में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने डिजाइन, साझेदारी संरचना और एडीबी की उप.परियोजनाओं आदि के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीं। प्रस्तुति के दौरान निजी निवेशकों ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए उपलब्ध सम्पत्तियों में विशेष रूचि दिखाई। प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मानसी सहाय ठाकुर, ताज, आईटीसीए महिन्द्रा, ओबरॉय, सरोवर आदि जैसे प्रमुख होटल समूहों के प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्रों से डिलॉयट व पीडब्ल्यूसी परामर्श एजेंसी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा मनीला और नई दिल्ली से एशिया विकास बैंक के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यपाल शुक्ल ने राजभवन में कहा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि राजभवन में राज्यपाल के पास बिल को लेकर पत्रावली पड़ी है इसलिए नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है।

राजभवन की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं हुई है। बिल में सरकार ने संशोधन कर कहा है कि सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए क्योंकि पैसा सरकार देती है...

राज्यपाल ने जताई नराजगी

● संजू/शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पारित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियों के बिल को लेकर राजभवन और सरकार में तकरार शुरू हो गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बयान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति को लेकर कृषि मंत्री चंद्र कुमार बार-बार कह रहे हैं कि नियुक्ति को लेकर बिल मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है, जबकि बिल सरकार के पास है राजभवन ने इसे टिप्पणी के लिए सरकार को भेजा है, जिस पर सरकार ने फैसला लेना है ऐसे में राजभवन पर दोषारोपण करना गलत है।

कुलपति की नियुक्ति ना होने में राजभवन का कोई दोष नहीं

मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यपाल शुक्ल ने राजभवन में कहा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि राजभवन में राज्यपाल के पास बिल को लेकर पत्रावली पड़ी है इसलिए नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। राजभवन की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं हुई है। बिल में सरकार ने संशोधन कर कहा है कि सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए क्योंकि पैसा सरकार देती है इसलिए जो नाम सरकार ने भेजे उसे ही राज्यपाल अपनी सहमति दें, जबकि नियमों में ऐसा नहीं है। नियमों के मुताबिक यूजीसी, राज्यपाल और सरकार तीनों के प्रतिनिधि की सहमति से कुलपति की नियुक्ति होती है। ऐसा देश में किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं है, हिमाचलमें ही पहली बार ऐसा होगा। ऐसी स्थिति में बिल पहली बार राष्ट्रपति को भेजने पर राजभवन विचार करेगा। राजभवन ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पुराने नियमों के अनुसार ही कमेटी का गठन किया है जो कुलपति को खोजने का काम कर रही है, लेकिन एक साल से कुलपति खोज नहीं सकी है। कुलपति की नियुक्ति न होने में राजभवन का कोई दोष नहीं है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ भी करूंगा

राज्यपाल ने कहा- मैं नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा, राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ भी करूंगा। बिल सरकार के पास ही है और सरकार को ही उसमें निर्णय लेना है। शुक्ल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है ऐसा नहीं कह सकते लेकिन शांत प्रदेश में अगर कुछ भी घटना होती है तो प्रदेश की बदनामी होती है ऐसे में सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल ने ट्राइबल एरिया में भूमिहीनों को नौतोड़ भूमि देने को लेकर कहा कि राजभवन को नौतोड़ भूमि देने में कोइ आपत्ति नहीं हैं। राजभवन ने इसमें सरकार से लाभार्थियों की संख्या पूछी है जैसे ही जवाब मिलेगा राजभवन इसे भी मंजूरी दे देगा।

कांग्रेस की नियुक्तियां

नई दिल्ली : अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सांसद एवं हिमाचल मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने देहरा, हमीरपुर व नालागढ़ विधानसभा उप चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को पूर्व में दी गई जिम्मेदारियां के अतिरिक्त चुनाव प्रभार की अतिरिक्त जिमेदारी सौंपी है ।देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए डॉक्टर कोटा नीलिमा को हमीरपुर विधानसभा के लिये कुलदीप वत्स को पर्यवेक्षक व आशा कुमारी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक व हरमोहिंदर सिंह लक्ड़ी को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी से देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए के लिये अजय महाजन व दवेंद्र सिंह जग्गी, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिये अनिता वर्मा व नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए दयाल प्यारी, यदुपति ठाकुर,अरुण शर्मा, इकवाल मोहम्मद, रमेश चौहान, रमेश ठाकुर, मोहन मेहता, मुकेश शर्मा व पवन चौहान को सह संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा को इन तीनों चुनाव क्षेत्रों से सम्बंधित कार्य की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच समन्वय बनाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

• राहत...

विशेष अंक सुधार परीक्षा

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष सितंबर माह में विशेष अंक सुधार परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा के लिए पहली जुलाई से अभ्यर्थी एसओएस संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान एक अभ्यर्थी को अपने अंकों में सुधार करने के तीन अलग-अलग मौके दिए जाएंगे, जिसके लिए फीस का शेड्यूल भी अलग-अलग रहेगा। यह बात बोर्ड मुख्यालय में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने एक प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उन अभ्यर्थियों को एक मौका देने जा रहा है, जोकि कम अंकों के कारण न तो पदोन्नत हो पा रहे थे और न ही किसी नई भर्ती के लिए नियमों के अनुरूप आवेदन कर पा रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी बोर्ड परीक्षाओं के अंकों में सुधार करने का मौका शिक्षा बोर्ड देगा। इसके हर वर्ष सितंबर माह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थी पहली से 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चल रहे करीब 220 हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) केंद्रों से आवेदन कर सकेंगे।

• गोदाम प्रभारी को जुर्माना...

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के देहरा डिपो से राशन गायब होने के मामले गोदाम इंचार्ज को विभाग ने 72 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। विभागीय जांच में निगम के गोदाम इंचार्ज की गलती सामने आई है। यह संभवतः प्रदेश का पहला मामला है, जब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के किसी कर्मचारी को इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई गई है।